अनुदान संख्या 52 – दमन और दीव
GRANT No. 52 - DAMAN AND DIU

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*2,00*	..	*-2,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1364,06,00		1364,07,00	1321,11,75	-42,95,25
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					42,26,54
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	311,41,00		323,45,00	323,40,54	-4,46
पूरक	Supplementary	12,04,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹2.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, *appropriation* of *₹2.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving- (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	9663.00	9230.12	9209.56	-20.56
पु.	R.	-432.88			
मुख्य शीर्ष "2515"	Major Head "2515"				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	6862.00	5538.29	5538.23	-0.06
पु.	R.	-1323.71			
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागरिक विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	2468.00	1555.67	1555.66	-0.01
पु.	R.	-912.33			

(I) ₹357.00 लाख का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹357.00 lakhs remained wholly unutilized under seventeen heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2202" – "सामान्य – जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – स्थापना" – के अंतर्गत ₹791.86 लाख की बचत (₹1857.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कपड़े और तम्बू, कार्यालय आकस्मिकता, अन्य प्रभारों, कम दौरे किए जाने और विद्यार्थियों से कम आवेदनों की प्राप्ति होने की वजह से कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2202" - "General - Tribal Area Sub-Plan - Establishment" – saving of ₹791.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1857.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, requirement of less funds towards clothing and tentage, office contingency, other charges, less tours undertaken and receipts of less applications from the students.

(III) मुख्य शीर्ष "2515" – "जिला परिषदों / जिला स्तर पचांयतों को सहायता – पचांयत" के अंतर्गत ₹1200.00 लाख

(III) Under Major Head "2515" – "Assistance to Zilla Parishads / District Level Panchayats -

की बचत (₹6581.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

Panchayats" – saving of ₹1200.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6581.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

(IV) मुख्य शीर्ष "3053" – "सामान्य – निदेशन और प्रशासन – दमन और दीव" के अंतर्गत ₹1130.04 लाख की बचत (₹1649.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यालय खर्चों, अन्य प्रभारों, लघु कार्यों और कपड़े एवं तम्बू से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "3053" - "General – Direction and Administration – Daman and Diu" - saving of ₹1130.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1649.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards office expenses, other charges, minor works and clothing and tentage.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹267.22 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 31 प्रतिशत थीं।

(V) Under one head saving of ₹267.22 lakhs occurred constituting 31 percent of the sanctioned provision.

3. उपर्युक्त बचतें ₹458.52 लाख के अधिक व्यय द्वारा एक शीर्ष के अंतर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं, जो स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थीं।

3. The above savings were partly offset by an excess of ₹458.52 lakhs under one head constituting 19 percent of the sanctioned provision.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल–कूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	5756.00			
पू.	S.	500.00	6786.70	6786.62	-0.08
पु.	R.	530.70			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4210" चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4210" Capital Outlay on Medical and Public Health				
मू.	O.	761.00	222.14	222.10	-0.04
पु.	R.	-538.86			
मुख्य शीर्ष "4215" जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4215" Capital Outlay on Water supply and Sanitation				
मू.	O.	3900.00	2350.40	2349.39	-1.01
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1550.60			
मुख्य शीर्ष "4810" नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4810" Capital Outlay on New and Renewable Energy				
मू.	O.	1000.00	400.00	400.00	..
पु.	R.	-600.00			
मुख्य शीर्ष "5051" पत्तनों तथा प्रकाश स्तम्भों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5051" Other Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	1106.00	279.22	279.22	..
पु.	R.	-826.78			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	6959.00	10672.92	10672.88	-0.04
पू.	S.	500.00			
पु.	R.	3213.92			

(I) ₹300.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹300.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4210" – "चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान – एलोपैथी – भवन" के अंतर्गत ₹526.39 लाख की बचत (₹746.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मोटर वाहनों, मशीनरी तथा उपस्करों और चालू कार्यों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4210" – "Medical Education Training and Research - Allopathy – Buildings" – saving of ₹526.39 lakhs (against the sanctioned provision of ₹746.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards motor vehicles, machinery and equipment and ongoing works.

(III) मुख्य शीर्ष "4215" – "जलापूर्ति" – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई।

(III) Under Major Head "4215" – "Water Supply" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शहरी जलापूर्ति – दमन एवं दीव जलापूर्ति की वृद्धि" – ₹749.61 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(A) "Urban Water Supply - Augmentation of Daman and Diu Water Supply" – saving of ₹749.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(खा) "ग्रामीण जलापूर्ति – निर्माण" – ₹802.00 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2901.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(B) "Rural Water Supply - Construction" – saving of ₹802.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2901.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018); and

(IV) मुख्य शीर्ष "5051" – "लघु पत्तन – अन्य लघु पत्तन – पत्तनों और प्रकाश स्तंभों का निर्माण और विकास" के अंतर्गत ₹826.78 लाख की बचत (₹1106.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(IV) Under Major Head "5051" – "Minor Ports - Other Small Ports - Construction and Development of Ports and Light Houses" - saving of ₹826.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1106.00 lakhs).

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें चालू कार्यों के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

Savings under the above three heads were due to requirement of less funds towards ongoing works.

(V) मुख्य शीर्ष "4810" – "सौर – दमन और दीव में सौर ऊर्जा स्कीमों को संवर्धन" के अंतर्गत ₹600.00 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत विभाग के लिए मशीनरी और उपस्करों से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(V) Under Major Head "4810" – "Solar – Promotion of Solar Energy Schemes in Daman and Diu" - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards machinery and equipments for Power Department.

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹262.27 लाख की बचत हुई, जो स्वीकृत प्रावधान का 58 प्रतिशत थी।

(VI) Under one head saving of ₹262.27 lakhs occurred constituting 58 percent of the sanctioned provision.

5.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए (₹300.06 लाख) आंशिक रूप से प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2018 में मुख्य शीर्ष "5053" "एयरपोर्ट – एयरोड्रोम्स – एयरपोर्ट का निर्माण एवं विकास" के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹299.05 लाख था।

5.(I) The above savings were partly (₹300.06 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2018 under Major Head "5053" - "Air Ports – Aerodromes – Construction and Development of Air Ports". Actual excess, however, was ₹299.05 lakhs.

(II) बचतें, निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4202" – "सामान्य शिक्षा – सामान्य – भवन" – ₹567.95 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6186.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दीव में शिक्षा केन्द्र के विकास और दमन में इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन निर्माण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4202" - "General Education – General - Buildings" – excess of ₹567.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6186.00 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in December, 2018) was due to requirement of additional funds towards major works for development of Education Hub at Diu and construction of building of Engineering College, Daman.

(खा) मुख्य शीर्ष "5054" – "जिला और अन्य सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – जिला सड़कें" – ₹3213.88 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹500.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹7459.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मुख्य जिला सड़कों और देवका बीच सड़क के सौंदर्यीकरण से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(B) Major Head "5054" – "District and Other Roads – Road Works – District Roads" – excess of ₹3213.88 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹7459.00 lakhs including supplementary grant of ₹500.00 lakhs obtained in December, 2018) was due to requirement of additional funds towards the beautification of major district roads and Devka Beach road.